

विषय : गैर-पैन्लबद्ध अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने की अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

अभिवादन

यह देखा गया है कि कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सूचीबद्ध अस्पतालों में बिस्तर और कमरे उपलब्ध नहीं हैं।

2. इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अगले आदेश तक निम्नलिखित को मंजूरी दी है -

ए) भाविप्रा के अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) को किसी भी अस्पताल (सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध) में कोविड-19 का उपचार करने की अनुमति है जहां बिस्तर या कमरे उपलब्ध हैं।

बी) चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति बिलों के उत्पादन पर की जाएगी।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सादर,

कैप्टेन राज के. मलिक

कार्यपालक निदेशक (प्रशासन/मा.सं.)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

कमरा सं. 22

अ-अंड, भूतल

नई दिल्ली - 110003

मोबाइल : 9810263911

9205953911